

संख्या 11014/5/81-अ० भा० से० ११४।।४

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-११०००१, दिनांक ११ परवरी, ८२

2-

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुद्दय सचिव।

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 के समर्थक पत्र के संदर्भ में मुझे वित्त मंत्रालय गृहव्यविभाग के दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/5/81-ई० ११५३३ की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जो सर्वाधीन पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई थी।

भवदोय,

मृग मंत्री पुस्तकालय

एम०पी० कुरुप०

डैस्ट्रक्ट अधिकारी

संख्या 11014/३/८१-अ० भा० से० ११४।।४ नई दिल्ली, दिनांक ११ परवरी, ८२

प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के तिए अनुलग्नक सहित अग्रेष्टिः :-

१. सभी महा लेनाकार।
२. गृह मंत्रालय गृह०प्ट००एस० अनुभाग०
३. गृह मंत्रालय गृह०प्ट००एस० अनुभाग।
४. कृषि विभाग गृह०प्ट००एस० अनुभाग।
५. सभी संघ राज्य हेत्रों के मुद्दय सचिव/प्रशासक।
६. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।

मृग पुस्तकालय

एम०पी० कुरुप०

डैस्ट्रक्ट अधिकारी

संख्या 13017/5/81-संस्था ॥ १०३

5

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

क्रम विभाग

नई दिल्ली-११०००१ दिनांक 20 नवम्बर, 1981

1903 रुपये

### कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महगाई भत्ते को बदायगी। जून, 1981 से प्रभावी संशोधित करें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं० 13016/१/८१-संस्था ॥ १०३ का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निष्पत्र किया है कि कार्यालय ज्ञापन के पैरा । मैं निर्दिष्ट अतिरिक्त महगाई भत्ते की दरें। जून, 1981 से निम्न प्रकार संशोधित की जाएँगी :-

#### बेतन सौमा

1० 300/- रुपये तक

11० 300/- रु 0 से ऊपर और 400/- रु 0 तक ।

11१० 400/- रु 0 से ऊपर और 800/- रु 0 तक ।

1 ११० 800/- रु 0 से ऊपर और 900/- रु 0 तक ।

१२० 900 रु 0 से ऊपर और 1000 रुपये तक ।

१३० 1000/- रु 0 से ऊपर और 1600/- रु 0 तक ।

१४० 1600/- रु 0 से ऊपर और 1660 रुपये से कम

१५० 1660/- रुपये से ऊपर 2000/- रुपये तक ।

#### अतिरिक्त महगाई भत्ते की प्रतिमास दरें

वेतन का 65.5 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 35 रु 0 तथा वेतन का 48% और अधिक से अधिक 194/- रु 0 ।

62/- रु 0 तथा वेतन का 44 प्रतिशत ।

वेतन का 48.5 प्रतिशत, किन्तु कम से कम वेतन का 15.5 प्रतिशत तथा 176/- रु 0 ।

100/- रु 0 तथा वेतन का 36 प्रतिशत ।

127 रु 0 तथा वेतन का 33 प्रतिशत

457 रुपये ।

2057/- रु 0 से वेतन जितना कम पड़ता हो उतनी राशि ।

397/- रुपये ।

- 6 -
- 2000/- स्थाये से ऊर के वेतन पर कुल महगाई भत्ता और  
अतिरिक्त महगाई भत्ता इस मंत्रालय के दिनांक 14-7-1981 के कानूनों  
संख्या 13017/3/81-स्थाया ।। खेल के पैरा 2 में बताये अनुसार  
विनियमित होता रहेगा ।
- 30 महगाई भत्ते और अतिरिक्त महगाई भत्ते के संबंध में की जाने  
वाली अदायगियाँ निकटतम 10 पैसे तक पूणाकित की जाएंगी ।
- 40 सशस्त्र सेना कर्मचारियों तथा असेन्टिक कर्मचारियों, जिनकी  
रक्षा सेवाओं अनुमानों से अदायगी की जाती है और रेलवे कर्मचारियों  
के संबंध में आवश्यक आदेशबूमशः रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा  
जारी किए जाएंगी ।
- 50 जहाँ तक भारतीय लेहा परीक्षा तथा लेहा विभाग में काम  
करने वाले कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक महालेहा  
परीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

हॉ/-  
१००० रुपये जपान  
संघीय सचिव, भारत सरकार